प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –248 / 2023

अनवान : –

1. श्री कृष्ण गौशाला समिति बरवाली जरिये अध्यक्ष, धर्मपाल पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73 / 68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक दाखा पत्नी हेतराम का 1 / 3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

मृतक दाखा पत्नी हेतराम का दिनांक 11.04.2023 को स्वर्गवास हो चुका है तथा दाखा पत्नी हेतराम ने रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73 / 68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से अपने हिस्से की 1 / 3 हिस्सा हिस्सा भूमि की वसीयत श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली के पक्ष में दिनांक 26.02.2023 को अपने होश हवाश में करवाई थी उक्त वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा के अनुसार करवाई गई है।

वसीयतकर्ता के कोई संतान नही है वसीयतकर्ता की उक्त वसीयत अंतिम वसीयत थी तथा वसीयतकर्ता की इच्छा थी की उसकी मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज भूमि बाबत किसी प्रकार का विवाद न हो तथा गौ सेवा के लिए व मौक्ष प्राप्ति के लिए अपने नाम दर्ज समस्त भूमि की वसीयत श्री कृष्ण गौशाला समिति बरवाली के पक्ष में करवाई हैं

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की उक्त वाद भूमि में से मृतक दाखा का नाम कलमजन किया जाकर श्री कृष्ण गौशाला समिति बरवाली के नाम वाद भूमि को दर्ज करवा दे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 परोकार राज द्वारा जवाब पेश जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा 11 एनटीआर–ए खा[illegible]3 / 68 सम्वत 2077–74 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र दाखा प्रदर्श–2, मूल [illegible] प्रति प्रदर्श –4, गवाह बयान शपथ पत्र साहबराम पुत्र चुन्नीराम प्रदर्श–5, रजिस्ट्रे[illegible] गौशाला समिति ब[illegible] प्रदर्श–6 आदि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्शित करवायें। वसीयत के गवाहन 1. श्री आईदान पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर एवं 2. साहबराम पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया कि दाखा पत्नी हेतराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर ने दिनांक 26.02.2023 को रोही मौजा 11 एनटीआर ए के खाता स0 73/68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली तहसील नोहर के पक्ष में करवाई थी। उक्त वसीयत हमारे सामने की गई थी तथा वसीयत करते समय हम मिकर उपस्थित थे। वाद भूमि के संबंध में श्री जोतराम पुत्र श्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली एवं शिशपाल पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली, रामकुमार पुत्र श्री हजारीराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली गवाहन जो की वसीयतकर्ता दाखा के भतीजे/भांजे है ने बयान किये की दाखा ने अपने हिस्से की 5 बीघा भूमि चक 11 एनटीआर ए की वसीयत श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली की पक्ष में वसीयत कर दी है। मुताबिक वसीयत श्री कृष्ण गौशाला समिति बरवाली के नाम उक्त भूमि की जाती है तो हमें कोई एतराज नही है। श्री दुनीराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली ने शपथपूर्वक बयान किये की दाखा ने दिनांक 26.02.2023 को उक्त भूमि की वसीयत श्रीकृष्ण गौशाला समिति के नाम वसीयत कर दी है। दाखा की यह अंतिम वसीयत थी उक्त वाद भूमि के संबंध में कोई विवाद नही है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की दाखा पत्नी हेतराम ने रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73/68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा हिस्सा भूमि की वसीयत श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली के पक्ष में दिनांक 26.02.2023 को अपने होश हवाश में करवाई थी उक्त वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा के अनुसार करवाई गई है। वसीयत में दाखा द्वारा कोई संतान नही है तथा अपने पति हेतराम का स्वर्गवास हो चुका है दाखा स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है। मुताबिक वसीयत वाद भूमि श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2001 पेज न0 319 ता 321 पेश किये जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73/68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक दाखा पत्नी हेतराम का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दाखा पत्नी हेतराम का स्वर्गवास हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत ईएक्सपी–3 द्वारा स्पष्ट है कि रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73/68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की वसीयत श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली के पक्ष में दिनांक 26.02.2023 को तहरीर करवाई गई है। गवाहों के बयान एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी गवाहों के बयान एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73/68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक दाखा पत्नी हेतराम का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में दाखा पत्नी हेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –248 / 2023

अनवान : –

1. श्री कृष्ण गौशाला समिति बरवाली जरिये अध्यक्ष, धर्मपाल पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 248 सन 2023 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं गवाहो के बयान के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 एनटीआर ए तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 73 / 68 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से मृतक दाखा पत्नी हेतराम का 1 / 3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में दाखा पत्नी हेतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी श्रीकृष्ण गौशाला समिति बरवाली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:34:26 IST
Reason: SelfAttested